

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8777 / 576-77

दिनांक: 3-5-19

सेवा में

1. वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार ।
2. वन मण्डल अधिकारी, हिसार ।

विषय: Diversion of 0.0078 ha. of forest land for access to Vechsharnvi Healthcare Ltd. along Hisar-Mangali road, at km. 8.800, R/side, Village Harikot, Mangali Aklan, under forest division and District Hisar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/36568/2018

संदर्भ: वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 15-4-2019 ।

विषयोक्त प्रस्ताव की सी0ए0स्कीम में सी0ए0 के तहत 50 पौधे लगाने के लिए राशि शामिल की हुई है जबकि भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जारी Handbook of guidelines-2019 के पार्ट-बी चैप्टर-2 की कम संख्या 2.6 के अनुसार सी0ए0 के तहत कम से कम 100 पौधे लगाने के लिए सी0ए0 स्कीम बनाई जानी अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त आपने अतिरिक्त सी0ए0 के तहत 50 पौधे लगाने की राशि सी0ए0 स्कीम में शामिल की हुई है जबकि इस केस में 5 पौधे नष्ट होने हैं जिनकी एवज में अतिरिक्त सी0ए0 के तहत 10 पौधे लगाए जाने बनते हैं । कृपया तदनुसार संशोधित सी0ए0 स्कीम व 110 पौधों के लिए भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः तैयार करके इस कार्यालय को तुरन्त भेजें ताकि प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सके ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।